न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द, सहारनपुर।
प्रकीर्ण वाद संख्या– 162 सन 2026

मौ0 सलमान **बनाम** **रोहित कम्पाउंडर आदि।**

अं.धारा 173(4) बी.एन.एस.एस.
थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

दिनांक–13.08.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. में विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

संक्षेप में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 09.07.2026 को समय 11.30 बजे दिन प्रार्थी के पिता मौ0 इकबाल को अपने घर के बाहर फिसल कर गिर जाने से बायें हाथ में चोट लग गयी थी, प्रार्थी अपने भाई के साथ अपने पिता को इलाज के लिए डाक्टर अरविन्द गोयल के यहां ले गया था, वहां मौजूद स्टाप उनके हाथ की नस में दर्द का इन्जेक्शन लगाने का प्रयास करने लगे, तीन–चार बार सुई से बिन्धने के बाद भी रोहित कम्पाउंडर इन्जेक्शन नस में नहीं लगा पाया, और नस फूल गयी, तो प्रार्थी ने कहा कि भाई डाक्टर साहब को बुला लो, तो रोहित ने कहा कि डाक्टर साहब यहां नही है, बाहर गये है, प्रार्थी ने कहा कि भाई तुम रहने दो, हम दूसरे डाक्टर को दिखा लेगें, इतना कहते ही उसने बदतमीजी करते हुए कहा कि यहां से खडे हो, और बाहर जाओ, और प्रार्थी के पिता को स्ट्रेचर से धक्का देकर गिरा दिया, जिससे बायें हाथ की हडडी भी टूट गयी, गालियां देकर पास में रखा सफाई का उपकरण उठाकर प्रार्थी के पिता के पैर मे मारा, जिससे उनके पैर की नस कट गयी, और खून बहने लगा, हम अपने पिता को लेकर बाहर निकलने लगे, तो तब तक उक्त रोहित ने फोन करके मौके पर अपने गाँव के परिवार के लोगो, अपने भाई अनुज पुत्र सुभाषचन्द, व पिता सुभाषचन्द पुत्र नामालूम, व अंकुर पुत्र सतीश, ऋषभ पुत्र अनिल, व शुभम पुत्र नामालूम को बुला लिया, आते ही सबने हमे घेर लिया, हम मुश्किल से अपना बचाव करके अपने पिता को लेकर डाक्टर नौशाद के अस्पताल में गये, जिन्होने पहले रोहित द्वारा प्रार्थी के पिता के पैर की काटी गयी नस का खून बन्द किया, और फिर बायें हाथ की टूटी हुई हडडी का इलाज किया, तथा जिस चोट की पटटी कराने गये थे, उसकी पटटी करायी, प्रार्थी उसी दिन रिपोर्ट लिखाने थाना देवबन्द पर गया था, लेकिन थाने वालो ने कोई कार्यवाही नहीं की है, इसके बाद प्रार्थी ने कुल वाके का एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षम महोदय सहारनपुर को बजिरिये रजिस्ट्री डाक भेजा, लेकिन प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नही हुई है, इसलिए प्रार्थी श्रीमान जी के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रार्थी की रिपोर्ट थाना देवबन्द पर दर्ज करायी जाकर नियमानुसार विवेचना कराये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, एक किता प्रार्थनापत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मय डाक रसीद, मैडिकल प्रपत्र, तीन किता फोटोप्रति व एक पन्ड्राईव, एक किता आधार कार्ड दाखिल किया गया है।

सम्बन्धित थाने से आख्या तलब की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के दिनांक 09–07–2026 को आवेदक व आवेदक का भाई अपने अन्य साथियों के साथ अपने पिताजी को इलाज हेतु सुभाष चौक पर स्थित डा० अरविन्द गोयल के हॉस्पिटल में लाया गया था। जहाँ पर इलाज को लेकर आवेदकगण व अस्पताल स्टाफ के बीच विवाद हो गया था। जिसमे मारपीट भी हुयी थी। जिसमे विपक्षीगण द्वारा थाना हाजा के माध्यम से 09.07.2026 अपना मैडिकल परिक्षण करवाकर आवेदकगण उपरोक्त के दिरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 508/26 धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 324(2) बीएनएस व 3(1)(द), 3(1)(घ), 3(2)(अं) एससीएसटी एक्ट बनाम सलमान पुत्र इकबाल आदि पंजीकृत कराया गया है जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी महोदय देवबन्द द्वारा सम्पादित की जा रही है। आवेदक द्वारा अपने प्रा०पत्र में अंकित कराये गये तथ्यों के सम्बन्ध में थाना हाजा के अभिलेखो व सीसीटीएनएस प्रणाली के माध्यम से चेक किया गया तो ज्ञात हुआ है कि उक्त तथ्यो के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग के पंजीकृत होना नही पाया गया है।

पत्रावली एवं सम्बन्धित थाने की आख्या व समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी मौ0 सलमान द्वारा प्रार्थनापत्र 173(4) बी.एन.एस.एस. में अंकित कथनानुसार दिनांक 09.07.2026 को प्रार्थी के पिता मौ0 इकबाल घर के बाहर गिरने से घायल हो गये थे। प्रार्थी अपने भाई के साथ उन्हें उपचार हेतु डा० अरविन्द गोयल के अस्पताल ले गया, जहां रोहित कम्पाउंडर द्वारा इंजेक्शन लगाने के दौरान विवाद हो गया। आरोप है कि रोहित ने प्रार्थी के पिता को स्ट्रेचर से धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उनके बायें हाथ की हड्डी टूट गयी तथा सफाई के उपकरण से पैर में प्रहार करने से नस कट गयी और रक्तस्राव होने लगा। तत्पश्चात रोहित द्वारा अपने साथियों अनुज, सुभाषचन्द, अंकुर, ऋषभ व शुभम को बुलाकर प्रार्थी पक्ष को घेर लिया गया। प्रार्थी अपने

पिता को डा० नौशाद के अस्पताल ले गया, जहां उनका उपचार कराया गया। उक्त घटनाक्रम के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में आहूत थाना देवबन्द से प्राप्त आख्यानुसार विपक्षी रोहित द्वारा थाना देवबन्द पर प्रार्थी सलमान आदि के विरूद्ध मु0अ0सं0 508/26 धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 324(2) बीएनएस व 3(1)(द), 3(1)(घ), 3(2)(अं) एससीएसटी एक्ट दर्ज करायी गयी है। मु0अ0सं0 508/26 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 09.07.2026 को सुभाष चौक स्थित डा० अरविन्द गोयल के हॉस्पिटल में आवेदकपक्ष (सलमान आदि) एवं अस्पताल स्टाफ (रोहित आदि) के मध्य विवाद एवं मारपीट हुई। उक्त घटना के सम्बन्ध में विपक्षी रोहित द्वारा प्रार्थी सलमान आदि के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 508/26 धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3), 324(2) बीएनएस व 3(1)(द), 3(1)(घ), 3(2)(अ) एससीएसटी एक्ट पंजी कृत कराया गया था। अतः यह स्पष्ट है कि थाना देवबन्द पर पंजीकृत मु0अ0सं0 508/26 एवं प्रार्थी सलमान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रार्थीपक्ष एवं विपक्षीपक्ष के बीच दिनांक 09.07.2026 को समय 11:00–11:30 बजे होने वाली घटना के सम्बन्ध में है। चूंकि विपक्षी रोहित द्वारा पंजीकृत एफ.आई.आर.सं.– 508/26 एवं प्रार्थी सलमान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. समान पक्षकारों के बीच एक ही समय पर एक ही स्थान पर होने वाली घटना के सम्बन्ध में है। एफ.आई.आर.सं.– 508/26 विपक्षी रोहित द्वारा अपने कथानक के साथ पंजीकृत करायी गयी है तथा प्रार्थी सलमान जरिये प्रार्थनापत्र 173(4) बी.एन.एस.एस. उक्त घटना के सम्बन्ध में अपने कथानक (क्रास–वर्जन) के साथ एफ.आई. आर. पंजीकृत कराना चाहता है।

थाना आख्या में आवेदक द्वारा वर्णित घटना के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत न होना बताया गया है। अतः प्रथम दृष्टया आवेदक के कथन एवं विपक्षी पक्ष द्वारा दर्ज कराये गये अभियोग से यह परिलक्षित होता है कि दिनांक 09.07.2026 की घटना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों द्वारा एक–दूसरे के विरुद्ध परस्पर आरोप लगाये गये हैं। विपक्षी पक्ष द्वारा पूर्व में क्रॉस केस दर्ज कराया जाना मात्र इस आधार पर आवेदक के पृथक एवं स्वतंत्र संस्करण को अस्वीकार करने का पर्याप्त आधार नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **In Surender Kaushik vs State of U.P. (2013) 5 SCC 148** में यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि एक ही घटना के सम्बन्ध में जब दो विरोधी पक्ष अपनी–अपनी कहानी (वर्जन) पेश करते है तब ऐसी स्थिति में दो अलग–अलग एफ.आई.आर. (क्रोस एफ.आई.आर.) दर्ज कराना कानूनी रूप से जायज है।

आवेदक के कथन में संज्ञेय अपराध कारित किये जाने के आरोप हैं तथा आरोपों की सत्यता अथवा असत्यता का परीक्षण विस्तृत विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित करके ही किया जा सकता है। संज्ञेय अपराध के आरोप वाली सूचना के मामले में सामान्यतः प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण एवं विधि अनुसार विवेचना अपेक्षित है। यहॉ यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि आवेदक के प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का कथन किया गया है, जिसकी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र विवेचना आवश्यक है। केवल क्रॉस केस पंजीकृत होने के आधार पर आवेदक के संस्करण को जांच से वंचित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **फौजदारी प्रकीर्ण याचिका संख्या 781 वर्ष 2012 निर्णय दिनांकित 19–03–2015 श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव व एक अन्य बनाम उ.प्र.राज्य एवं अन्य विनिर्णय रामबाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (43) ए.सी.सी. पेज 50** एवं माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित **विनिर्णय सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 472** में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों एवं प्रस्तुत मामलों के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत मामले के सत्य के अन्वेषण हेतु विवेचना कराया जाना न्यायोचित होगा, जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

आदेश

सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित थानाध्यक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलम्ब न्यायालय प्रेषित करें। आदेश की प्रति सम्बन्धित लिपिक सम्बन्धित थाने को अविलम्ब प्रेषित करें।

(आशीषानन्द)
सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
देवबन्द, सहारनपुर
जे.ओ.कोड यू.पी. 3698